

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय आदेश ॥

संचिका सं०-03/ADB-12-01/2015

73

पटना, दिनांक-

विभागीय कार्यालय आदेश सं० 54 सहपठित ज्ञापांक 141 दिनांक 23.01.2018, विभागीय कार्यालय आदेश सं० 66 सहपठित ज्ञापांक 179 दिनांक 29.01.2018 एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं० 65 सहपठित ज्ञापांक 178 दिनांक 29.01.2018 द्वारा ADB संपोषित गया जलापूर्ति परियोजना फेज-1 एवं 2 के लिए राशि विमुक्त की गई थी, को निरस्त करते हुए गया जलापूर्ति परियोजना फेज-1 के लिए 35.00 करोड़ (पैंतीस करोड़) एवं गया जलापूर्ति परियोजना फेज-2 के लिए 27.93 करोड़ (सताईस करोड़ तिरान्चे लाख रु०) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको) को विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. गया जलापूर्ति परियोजना फेज-1 के लिए स्वीकृत राशि 35.00 करोड़ (पैंतीस करोड़) एवं गया जलापूर्ति परियोजना फेज-2 के लिए 27.93 करोड़ (सताईस करोड़ तिरान्चे लाख रु०) बुडा में संधारित ADB संपोषित योजना के खाता से PFMS/RTGS के माध्यम से बुडको के संबंधित बैंक खाता में विमुक्त किया जायेगा।

3. विमुक्त राशि का व्यय ADB संपोषित गया जलापूर्ति परियोजना फेज-1 एवं फेज-2 के क्रियान्वयन में किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य योजना के लिए राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(नरेन्द्र कुमार सिंह),

अपर सचिव-सह-निदेशक,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/ADB-12-01/2015

204

दिनांक- 01/1/18

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बुडको/उप निदेशक, बुडा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/लेखापाल, बुडा/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक